दिनांक 21 / 07 / 2025

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2025 हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

(Advisory for candidates)

1. राज्य की शासकीय एवं निजी / चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त राज्य कोटे की सीटों (एम.बी.बी.एस / बी.डी.एस), जिसमें निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध एन0आर0आई0 कोटे की सीटें भी सम्मिलित हैं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2025–26 **मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अधीन** एमपी ऑनलाईन पोर्टल dme.mponline.gov.in पर संचालित की जायेगी।

2 नीट यू0जी0 2025 के समस्त पात्र अभ्यर्थी जो उपरोक्त काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते है उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपना **NEET Application Number** लॉगिंन आई0डी0 एवं पासवर्ड, मोबाईल नंबर, ई–मेल आईडी, बैंक खाते संबंधी जानकारी एवं अन्य संबंधित जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें, जिससे इसका दुरूपयोग न हो।

3. रजिस्ट्रेशन से पूर्व संचालनालय की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन यूजर मेनुअल एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधन नियम 19 जून 2019, 05 अक्टूबर 2021, संशोधन जुलाई 2022, संशोधन दिनांक 10 मई 2023 तथा संशोधन 02 जुलाई 2024 को भली भॉती पढ़कर समझ लें। किसी प्रकार का संशय होने पर काउंसिलिंग की **अधिकृत** ई–मेल mpugpgcounselling@gmail.com पर अपनी समस्या प्रेषित कर इसका निराकरण करायें। समय सारणी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शित निर्धारित समय सीमा तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन एवं प्रोफाईल की प्रवृष्टियों में संशोधन (Edit) कर पायेगा। रजिस्ट्रेशन विंण्डो बंद होने के उपरान्त प्रथम चरण की काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का संशोधन नहीं होगा।

4. <u>रजिस्ट्रेशन के समय केंडिडेट प्रोफाईल में बैंक का विवरण भरते समय सुनिश्चित करे कि बैंक खाता (Bank Account) निम्नानुसार हो :–</u>

   1. बैंक खाता सेविंग अथवा करंट खाता हो।

   2- बैंक खाता किसी अव्यस्क (Minor) का नहीं होना चाहिये।

3- बैंक खाता के0वाई0सी0 के अनुरूप (KYC compliant)सक्रिय होना चाहिये।

4- यदि यह बचत बैंक खाता है, तो बचत बैंक खाता एक सामान्य बचत बैंक होना चाहिये जहां खाते में अधिकतम शेष/क्रेडिट की कोई सीमा नहीं है।

5. प्रधान मंत्री जनधन योजना (PMJDY) खाता और शून्य शेष खाता (Zero Balance) मान्य नहीं है।

5. अभ्यर्थी को पंजीकृत (Registered) तभी माना जायेगा जब अभ्यर्थी ने पंजीयन हेतु ऑनलाईन फीस रूपये 1100/– जमा कर दी हो एवं अभ्यर्थी के पास एमपी आनलाईन पोर्टल से जनरेट की गई रजिस्ट्रेशन स्लिप अनिवार्य रूप से हो। पंजीयन शुल्क (Registration fee) अप्रतिदेय (Non refundable) है।

6. पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

7 प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में प्रवेश लेने के उपरान्त प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिया गया हो को छोड़कर, अन्य अभ्यर्थी जो किसी कारणवश प्रथम चरण की काउंसलिंग से पूर्व कराये गये पंजीयन में संशोधन करने के इच्छुक है, उन्हें द्वितीय चरण की कांउसिलिंग से पूर्व निर्धारित समय सीमा में पंजीयन में आवश्यक संशोधन करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थियों को और कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

8. काउंसिलिंग के समस्त चरणों की प्रक्रिया ऑनलाईन की जानी है अतः अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय, द्वितीय चरण एवं मॉप अप चरण की काउंसिलिंग में नई च्वाईस फिलिंग करने से पूर्व जमा कराई जाने वाली अग्रिम राशि तथा प्रवेश के समय संस्था की निर्धारित फीस का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। अभ्यर्थी किसी भी खाते से निर्धारित फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं ऑनलाईन आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी के माध्यम से कर सकता है। फीस के भुगतान हेतु अभ्यर्थी एक से अधिक नेट बैकिंग एकाउंट, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फीस भुगतान संबंधी परेशानी से बचने के लिए खातों में संस्था की निर्धारित फीस के अनुसार पर्याप्त राशि रखें। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते से किये जाने वाले लेन–देन (Transaction) राशि की सीमा बढ़ा लें।

9 पंजीयन फार्म में फोटो आईडी के लिये अभ्यर्थी अपना वोटर आईडी कार्ड/पैन कार्ड/डाईविंग लांइसेंस कार्ड/पासपोर्ट अथवा उपरोक्त उपलब्ध न होने की स्थिति में 12वीं कक्षा का फोटो युक्त प्रवेश पत्र अथवा मार्कशीट/बैंक पासबुक/विघालय द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त आईडी/शासन द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो युक्त आईडी अपलोड कर सकता है।

10 रजिस्ट्रेशन के उपरान्त पूर्व प्रदर्शित काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपना विकल्प (च्वाईस फिलिंग) दर्ज कराना होगा। च्वाईस लॉकिंग के समय अभ्यर्थी को रू0 100/- पोर्टल चार्ज देना होगा, तदोपरान्त ही अभ्यर्थी अपनी च्वाईस फिलिंग लॉकिंग की ऑनलाईन रसीद प्राप्त कर सकेगा।

11. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में केवल मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवंटन हेतु च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग कर सकेगें।

12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों (च्वाईस) के महाविद्यालयो का क्रम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अच्छी तरह से सोच समझकर एवं विभिन्न महाविद्यालयों की प्रदर्शित शुल्क को ध्यान में रखकर ही आवंटन हेतु महाविद्यालयों का चयन करें एवं महाविघालयों के चयन को क्रम दें।

13. अभ्यर्थी किसी भी चरण की च्वाईस फिलिंग करने के उपरान्त अपनी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें, च्वाईस लॉक न किये जाने की स्थिति में भरी गई च्वाईस मान्य नहीं होगी एवं अभ्यर्थी उस चरण में आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा।

14. **भारतीय** सेना के तीन अंगो थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना में कार्यरत/सेवामुक्त/मृत/युद्व में विकलांग व्यक्तियों की संताने ही आरक्षण के पात्र हैं।

15. मध्यप्रदेश राज्य के विघार्थियों **को शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग के अन्तर्गत 5 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता होगी** जिन्होंने मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय से कक्षा 6वीं से 12वीं **तक नियमित अध्ययन तथा परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक निजी स्कूलों में पढ़ने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन एवं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।**

16. अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रवर्ग के अन्तर्गत विकलांग, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शासकीय विद्यालय विद्यार्थी विकल्पों में से पात्रता अनुसार केवल एक विकल्प का चयन कर सकता है।

17. आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिंन आई0डी0 से आवंटन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा।

18. आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के समय प्रारूप-1 में उल्लेखित मूल दस्तावेजों के साथ अभिलेखों के सत्यापन हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित हो। आवंटित अभ्यर्थी

को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा (काउंसिलिंग समय सारणी) में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेस्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज करायें। तत्पश्चात आवंटित संस्था की नियुक्त की गई प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवायें। मूल दस्तावेजों की सूची मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के साथ संलग्न अनुसूची–3 के अनुसार है एवं अभिलेखों की स्क्रूटनी का प्रारूप–1 संचालनालय की वेबसाईट एवं एम0पी0 ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा। संस्था प्रमुख से मूल दस्तावेज जमा होने की सूचीबद्व अभिस्वीकृति (Signed certificate)अवश्य प्राप्त कर लें। शुल्क भुगतान के उपरान्त अभ्यर्थी को ऑनलाईन प्रवेश स्लिप प्राप्त होगी।

19. **अभ्यर्थी को कालेज स्तर पर प्रवेश के समय द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन विकल्प Yes or No में से एक विकल्प चयनित करने पर ही ऑनलाईन प्रवेश स्लिप जारी होगी। अभ्यर्थी के लॉगइन पर इस विकल्प को एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह एडिट फेसिलिटी समय सारणी में अपग्रेडेशन हेतु निर्धारित समय अवधि तक ही रहेगी।**

20. प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि मॉप अप चरण में अपग्रेडेशन का विकल्प चाहता है तो उसे द्वितीय चरण के लिये भी प्रथम चरण के उपरान्त अपग्रेड का ऑप्शन देते हुये द्वितीय चरण में च्वाईस फिलिंग करना अनिवार्य होगा।

21. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चरण एवं /अथवा मॉपअप चरण हेतु अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है को ग्रामीण सेवा बंध पत्र एवं सीट लिविंग बॉण्ड उस चरण में नहीं देना है। परन्तु उन्हें इस आशय का रू. 500/– का नोटराईज्ड शपथपत्र, प्रवेशित संस्था प्रमुख के नाम से संपादित करना होगा कि द्वितीय चरण/मॉपअप चरण में अपग्रेड न होने की स्थिति में ग्रामीण सेवा का बंध पत्र एवं सीट लिविंग बॉण्ड पृथक–पृथक सम्यक रूप से स्टाम्पित नोटराईज्ड शपथ पत्र पूर्व चरण से प्रवेशित संस्था में जमा करना होगा।

22. दिव्यांग प्रर्वग हेतु MCI/NMC द्वारा जारी मापदण्ड अनुसार बैंच मार्क डिसएबिलिटी के लिये नामित नीट डिसएबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर से जारी किया गया डिसएबिलिटी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।

23. शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी संचालनालय की वेबसाईट एवं एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।

24. **मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के पात्र अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 5–6/2017/42 (1) दिनांक 14/06/2025 को भलीभॉती पढ़कर समझ लेवे एवं तदोपरान्त ही योजना का लाभ लेने अथवा न लेने का निर्णय लेवें।** उपरोक्त आदेश पोर्टल एवं संचालनालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

21/7/25

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

21/7/25